



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271617
CG-DL-E-07042026-271617

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1690]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/ चैत्र 17, 1948

No. 1690]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/ CHAITRA 17, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

सं. 61/2025-26

विषय: एचएस कोड 1101 के तहत आने वाले गेहूं के आटे और उससे संबंधित मदों की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1758(अ).— विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं.22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 16 जनवरी, 2026 के अधिसूचना संख्या 55/2025-26 के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), अनुसूची-2, 2022 के एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में आगे निम्नानुसार संशोधन करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	अतिरिक्त नीतिगत शर्त
1101	गेहूँ अथवा पिसा हुआ आटा (आटा) मैदा, सेमोलिना (रावी/सिरगी), होलमील आटा और परिणामी आटा	प्रतिबंधित	जैसा कि डिजीएफटी अधिसूचना 39/2015-2020, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 और अधिसूचना संख्या 55/2025-26, दिनांक 16 जनवरी, 2026 में निर्धारित है।	एचएस कोड 1101 के तहत अतिरिक्त 5 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूँ के आटे और संबंधित उत्पादों के निर्यात की अनुमति 16 जनवरी, 2026 की अधिसूचना संख्या 55/2025-26 के माध्यम से अनुमत 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक की होगी, जो डिजीएफटी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने वाले तौर तरीकों के अधीन है।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

एचएस कोड 1101 के तहत गेहूँ के आटे और संबंधित उत्पादों का निर्यात "प्रतिबंधित" रहेगा। तथापि, अतिरिक्त 05 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के आटे और संबंधित उत्पादों के निर्यात की अनुमति है। यह, अधिसूचना संख्या 55/2025-26 दिनांक 16 जनवरी, 2026 के तहत अनुमत मात्रा के अतिरिक्त है। इस उद्देश्य के लिए विस्तृत प्रक्रिया अलग से अधिसूचित की जाएगी।

[फा. सं. 01/91/180/032/एएम22/पार्ट-1/ईसी/ई-32553]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

No.61/2025-26

Subject: Amendment in export policy of Wheat flour and related items falling under HS Code 1101- regarding.

S.O. 1758(E)— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) as amended, read with Para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, and in continuation of Notification No. 55/2025-26 dated January 16, 2026, the Central Government hereby further amends the export policy of items under HS Code 1101 of ITC (HS), Schedule-2, 2022 as under:

ITC(HS) Code	Description	Existing Export Policy	Existing Policy Condition	Additional Policy Condition
1101	Wheat or Meslin Flour (Atta), Maida, Samolina(Ravi/Sirgi), Wholemeal Atta and resultant atta	Prohibited	As laid down in DGFT Notification 39/2015-2020 dated October 14, 2022 and Notification No. 55/2025-26 dated January 16, 2026.	Export of an additional 5 Lakh Metric Tonnes (LMT) of wheat flour and related products under HS Code 1101 shall be permitted, over and above the 5 LMT permitted vide Notification No. 55/2025-26 dated January 16, 2026 subject to the modalities to be notified vide Public Notice issued by DGFT.

2. Effect of this Notification:

The export of wheat flour and related products under HS Code 1101 shall continue to remain “Prohibited”. However, export of an **additional 05 LMT** of wheat flour and related products is allowed. This is in addition to the quantity allowed under Notification No. 55/2025-26 dated January 16, 2026. Detailed procedure for this purpose shall be notified separately.

[F. No. 01/91/180/032/AM22/Pt.I/EC/E-32553]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.